

पत्रांक 328 / वाद संख्या आर-0669/2023 दिनांक 03 जून 2023

श्री मुकेश नौटियाल/हितवद्ध व्यक्ति
श्री फिरोजद्दीन-निर्माणकर्ता
राधा भवन इस्टेट सरकुलर रोड
मसूरी।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त पते/स्थल पर बिना स्वीकृत मानचित्र/अनुमति के जैसा कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत अनिवार्य है, अनाधिकृत निर्माण/अनाधिकृत विकास करने पर उपरोक्त अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत वाद संख्या आर-0669/2023 योजित किया गया।

विपक्षी के विरुद्ध योजित उपरोक्त वाद में दिनांक 26-04-2023 को धारा 27 एवं धारा 28 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विपक्षी को कारण बताओ नोटिस एवं कार्य रोकने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया जो कि दिनांक 26-04-2023 को आपके पते पर चस्पा किया गया।

उक्त नोटिस के द्वारा विपक्षी को अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है, तथा उक्त के सम्बन्ध में विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 27-04-2023 की तिथि नियत की गयी, साथ ही विपक्षी को स्थल पर अवैध निर्माण कार्य बन्द करने हेतु निदेशित किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त वाद में दिनांक 27-04-2023, 20-05-2023, की तिथियां सुनवाई हेतु नियत की गयी थीं। जिसमें आप अनुपस्थित रहें। विपक्षी द्वारा किये गये/किये जा रहे निर्माण के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक लिखित जबाब दावा दाखिल नहीं किया गया। सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की पूर्व आख्या दिनांक 18-04-2023 के अनुसार उपरोक्त स्थल पर लगभग 06.25 गुणा 05.80 मी० के क्षेत्रफल में 09 आर०सी०सी० कालम खड़े कर भूतल पर आर०सी०सी० स्लैब व प्रथम तल पर कालम खड़े कर स्ट्रिंग लगाने का कार्य किया जा रहा है। स्थल पर कोई स्वीकृति नहीं दिखायी गयी है। सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की वर्तमान आख्या दिनांक 02-06-2023 के अनुसार विपक्षी को धारा 27 (1), 28(1) के अन्तर्गत कार्य रोकने हेतु नोटिस व धारा 28 (ii) के अन्तर्गत निर्माण कार्य बलपूर्वक रूकवाये जाने हेतु थानाध्यक्ष मसूरी को पत्र निर्गत किया गया था। स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि स्थल पर विपक्षी द्वारा चोरी छिपे निर्माण कार्य जारी रखा है। प्रश्नगत स्थल नोटिफाईड क्षेत्रान्तर्गत पडता है। अतः उक्त स्थल पर भवन का मानचित्र शमनीय नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में विभिन्न माध्यमों से लगातार शिकायते प्राप्त हो रही हैं। विपक्षी द्वारा किये जा रहे/किये गये समस्त निर्माण को सील किये जाने की संस्तुति की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि आपके द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया गया है।

अतः उक्त परिस्थितियों में तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन उपरान्त आपके अवैध निर्माण के विरुद्ध सीलिंग के आदेश पारित करने का विकल्प ही शेष रह जाता है। न्यायहित में स्थल पर चालानशुदा निर्माण को सील किया जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण में सीलिंग आदेश पारित किये जाते हैं।

कमश:-2

-2-

- :आदेश:-

अतः विपक्षी श्री मुकेश नौटियाल/हितवद्ध व्यक्ति, श्री फिरोजद्दीन-निर्माणकर्ता राधा भवन इस्टेट सरकुलर रोड मसूरी में बिना मानचित्र स्वीकृति के/अनुमति के जैसा कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुशीलन के आधार पर तथा क्षेत्रीय अभियन्ताओं की संस्तुति के आधार पर विपक्षी द्वारा स्थल उपरोक्त पर किये गये/किये जा रहे समस्त अनाधिकृत निर्माण/चालानशुदा निर्माण के विरुद्ध सीलिंग आदेश पारित किये जाते हैं। विपक्षी का प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण दिनांक 05-6-23 को सील किया जाना है। अतः आप दिनांक 05-6-23 को स्थल पर स्वयं उपस्थित रहें एवं अपना समस्त सामान हटा लें।

31/6/23
संयुक्त सचिव/पीठासीन अधिकारी
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
मसूरी।